वंदे मातरम् को वैधानिक सुरक्षा: 1971 के अधिनियम में संशोधन

संसद, राष्ट्रीय प्रतीक और विधि | समाचार संदर्भ: 29-30 जुलाई 2026 (संसद से पारित) | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

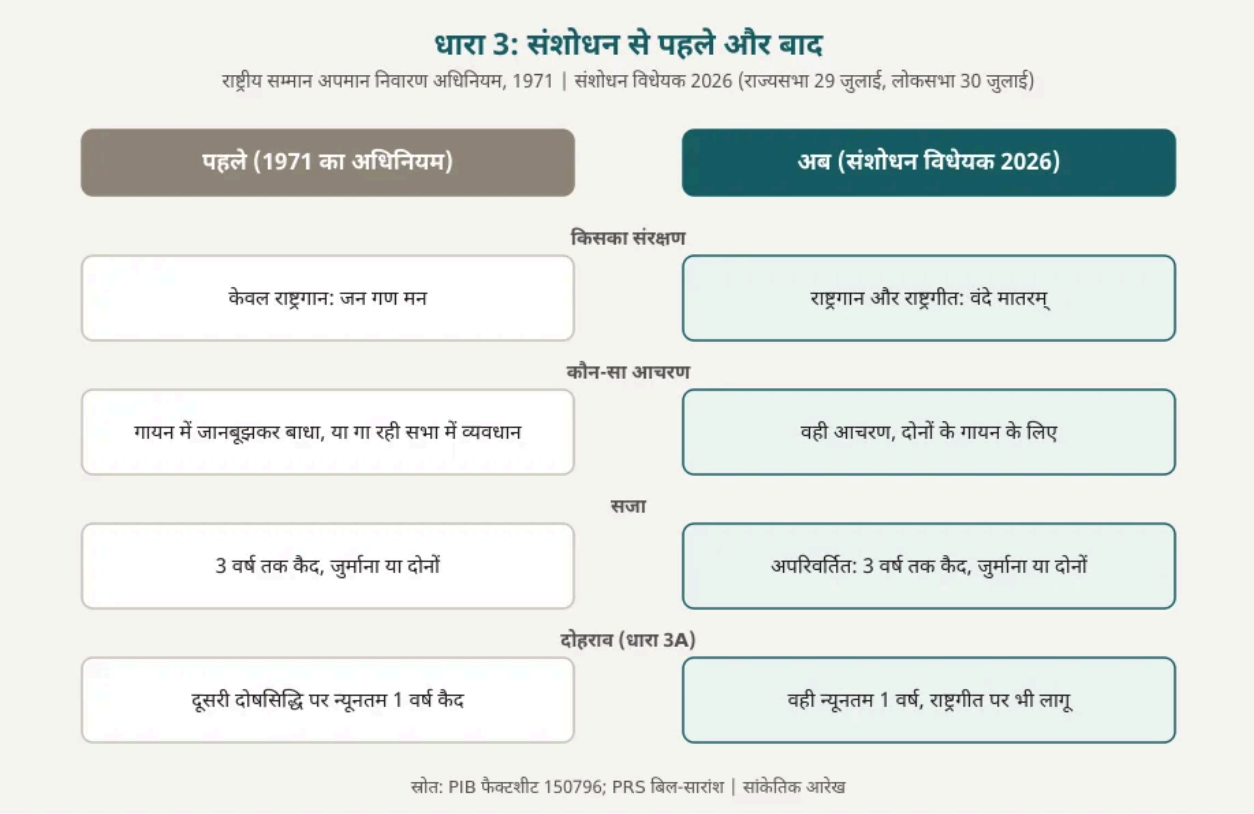
राष्ट्र के प्रतीकों की रक्षा के लिए भारत में एक अलग कानून है — राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971, जो 23 दिसंबर 1971 को बना। इसकी धारा 2 राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान के अपमान को दंडनीय बनाती है, जबकि धारा 3 राष्ट्रगान 'जन गण मन' के लिए है: जो कोई जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन में बाधा डाले या उसे गा रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करे, उसे तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 2003 में जोड़ी गई धारा 3A के अनुसार धारा 2 या 3 के अंतर्गत दूसरी या आगे की दोषसिद्धि पर कम से कम एक वर्ष की कैद अनिवार्य है। राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है, पर इस कानून में उसका उल्लेख नहीं था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि 'वंदे मातरम्' को 'जन गण मन' के बराबर सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए; वह कथन वर्षों तक किसी दंड-प्रावधान में नहीं बदला। 2026 का संशोधन इसी अंतर को भरता है।

खबरों में क्यों

राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 गृह मंत्री अमित शाह की ओर से 24 जुलाई 2026 को राज्यसभा में पेश हुआ (विधेयक-पाठ का शीर्षक), राज्यसभा से 29 जुलाई 2026 को पारित हुआ और लोकसभा ने उसे 30 जुलाई 2026 को पारित कर दिया; इस तरह दोनों सदनों की मंजूरी पूरी हुई। इसके बाद यह अधिनियम बना: 6 अगस्त 2026 के भारत के राजपत्र (असाधारण, भाग II, खंड 1, संख्या 26) में यह 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026, अधिनियम सं. 11/2026' के रूप में प्रकाशित है। इस अधिनियम में केवल धारा 1 (संक्षिप्त नाम) और धारा 2 (1971 के अधिनियम की धारा 3 का प्रतिस्थापन) हैं; धारा 3A को छुआ नहीं गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर चर्चा का उत्तर दिया। विधेयक अधिनियम की धारा 3 को बदलकर राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत को भी जोड़ देता है, यानी अब जानबूझकर 'वंदे मातरम्' के गायन में बाधा डालना या उसे गा रही सभा में व्यवधान पैदा करना भी अपराध है। सजा वही रहती है — तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों — और धारा 3A की न्यूनतम एक वर्ष वाली दोहराव-सजा भी इस पर लागू होगी। विधेयक के पक्ष और विरोध में सदन में तीखी बहस हुई; लोकसभा में डीएमके की के. कनिमोझी ने इसे विभाजनकारी बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति का सम्मान कहा।

प्रमुख अवधारणा: 'अपमान' नहीं, 'बाधा' दंडनीय — कानून का वास्तविक दायरा

विधेयक के नाम में 'अपमान' (Insults) शब्द है, पर धारा 3 का अपराध इससे कुछ संकरा है। अपराध तब बनता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर गायन को रोके या गा रही सभा को बाधित करे। यानी दंड का आधार गायन-कार्यक्रम में हस्तक्षेप है, न कि किसी की निजी चुप्पी या असहमति का भाव — PIB फैक्टशीट में अपराध की जो परिभाषा दी गई है, उसमें गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई प्रावधान नहीं मिलता। परीक्षा-उत्तर में यह भेद महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि 'राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान' की बहस अक्सर अनुच्छेद 19(1)(a) की अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता और युक्तियुक्त प्रतिबंधों के प्रश्न से जुड़ जाती है।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

विधेयक	**राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 — मूल कानून: राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (23 दिसंबर 1971)**
संसदीय मंजूरी	राज्यसभा में पेश: 24 जुलाई 2026; राज्यसभा से पारित: 29 जुलाई 2026; लोकसभा से पारित: 30 जुलाई 2026
अधिनियम की स्थिति	राजपत्र (असाधारण) संख्या 26, 6 अगस्त 2026 में अधिनियम सं. 11/2026; समाचार रिपोर्टें स्वीकृति की खबर 7 और 11 अगस्त को देती हैं, पर वैधानिक तिथि राजपत्र में अंकित 6 अगस्त है
संशोधन का मूल	धारा 3 को बदलकर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के गायन में जानबूझकर बाधा या सभा में व्यवधान को अपराध बनाया गया (खंड 2)
सजा	तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों — अपरिवर्तित; धारा 3A: दोहराव पर न्यूनतम एक वर्ष की कैद बनी रहेगी
विधायी उद्देश्य	उद्देश्य-कथन के अनुसार 1971 का कानून राष्ट्रगान को तो संरक्षण देता था, पर राष्ट्रगीत के लिए समान प्रावधान नहीं था; संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 के कथन का हवाला
राष्ट्रगीत का इतिहास	बंकिमचंद्र चटर्जी की रचना; 7 नवंबर 1875 को 'बंगदर्शन' में प्रकाशित; 1882 में 'आनंदमठ' में; 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रवींद्रनाथ ठाकुर ने गाया; 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन में पहली बार राजनीतिक नारे के रूप में प्रयुक्त

संशोधन कैसे काम करता है — तीन परतें

एक ही धारा, दो प्रतीक: विधेयक नई धारा नहीं जोड़ता; वह मौजूदा धारा 3 को बदलकर उसमें 'राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत' पढ़ने की व्यवस्था करता है। इसका परिणाम यह है कि अपराध की परिभाषा, सजा और प्रक्रिया वही रहती है जो राष्ट्रगान के लिए पहले से तय थी। नया कानून बनाने की जगह मौजूदा ढाँचे को चौड़ा करना विधायी रूप से सरल रास्ता है और इसी से दोनों प्रतीकों की 'बराबरी' का संदेश भी जाता है।

दंड-विधान की निरंतरता: तीन वर्ष की अधिकतम कैद और धारा 3A की दोहराव-सजा स्वतः नए अपराध पर भी लागू होती है। धारा 3A 2003 में इसीलिए जोड़ी गई थी कि बार-बार अपराध करने वालों पर कठोर रोक रहे; अब वही तर्क राष्ट्रगीत के मामले में भी लागू होगा।

संविधान सभा से संसद तक: संविधान सभा में दोनों गीतों के 'बराबर दर्जे' की बात 1950 में हुई थी, पर कानूनी संरक्षण केवल राष्ट्रगान को मिला। 76 वर्ष बाद संसद ने उस वचन को दंड-प्रावधान में उतारा — यह बताता है कि संवैधानिक प्रतिज्ञाओं को कानून में बदलने में कभी-कभी लंबा समय लग जाता है।

यह संशोधन क्यों मायने रखता है

प्रतीकों की समानता का प्रश्न: राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भारत के दो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, पर दोनों की कानूनी स्थिति अब तक अलग थी। संशोधन के बाद कम से कम गायन में बाधा के मामले में दोनों समान संरक्षण में आ गए हैं। यह प्रतीकात्मक के साथ व्यावहारिक बदलाव भी है, क्योंकि सार्वजनिक आयोजनों में व्यवधान की स्थिति में अब पुलिस के पास स्पष्ट कानूनी आधार होगा।

विधायी तरीका और संसदीय बहस: विधेयक दोनों सदनों में हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच पारित हुआ, जिसकी रिपोर्टें मौजूद हैं। यह मामला दिखाता है कि राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े कानून अक्सर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं और परीक्षार्थी को तथ्य और राजनीतिक दावों के बीच अंतर रखना पड़ता है।

बहस के बिंदु और सावधानियाँ

अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता का संतुलन: आलोचक ऐसे कानूनों को अनुच्छेद 19(1)(a) और अंतःकरण की स्वतंत्रता के संदर्भ में परखते हैं; समर्थक इसे केवल बाधा डालने तक सीमित, सीमित-दायरे वाला प्रावधान बताते हैं। अपराध में 'जानबूझकर' शब्द की उपस्थिति आगे की न्यायिक व्याख्या में निर्णायक होगी, क्योंकि इसी से यह तय होगा कि किसकी मंशा को दंडनीय माना जाए।

कार्यान्वयन की व्यावहारिकता: सभा में 'व्यवधान' का दायरा भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में अस्पष्ट हो सकता है। प्रशासनिक स्तर पर दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण के बिना दुरुपयोग या मनमाने मुकदमों का जोखिम बना रहता है — यह कानून लागू होने के बाद की चिंता है, इसलिए इसे अनुमान के रूप में ही देखना चाहिए।

तथ्य-सावधानी: संसदीय पारित होना (29-30 जुलाई 2026) और अधिनियम बनना (राजपत्र: 6 अगस्त 2026) अलग घटनाएँ हैं। परीक्षा में समाचार-रिपोर्ट की तिथि (जैसे 11 अगस्त की खबर) और राजपत्र में दर्ज अधिनियम की तिथि को मिलाकर नहीं लिखना चाहिए; विधायी तिथि के लिए राजपत्र ही आधार है।

आगे की राह

आगे तीन बातें देखने योग्य हैं: (i) नियम या गृह मंत्रालय के परिपत्र से 'जानबूझकर' और 'व्यवधान' की व्यावहारिक सीमाएँ स्पष्ट करना; (ii) अदालतों में पहली चुनौतियाँ — विशेषकर अनुच्छेद 19 और 25 के संदर्भ में; (iii) स्कूलों, सार्वजनिक आयोजनों और

सरकारी समारोहों में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान सिखाने का तरीका जबरदस्ती से नहीं, शिक्षा और संवाद से तय हो।

अवधारणा में अंतर

तीन भेद याद रखें: (1) राष्ट्रगान बनाम राष्ट्रगीत — 'जन गण मन' राष्ट्रगान है, 'वंदे मातरम्' राष्ट्रगीत; संशोधन दोनों के गायन में बाधा पर सजा एक-सी करता है। (2) बाधा बनाम अपमान — धारा 3 गायन में बाधा या सभा-व्यवधान से संबंधित है; ध्वज और संविधान का अपमान धारा 2 का विषय है। (3) संसद से पारित होना बनाम अधिनियम बनना — पारित होना विधायी प्रक्रिया का चरण है; अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। इस मामले में अधिनियम सं. 11/2026 का राजपत्र 6 अगस्त 2026 का है।

मेंस दृष्टि

GS-II: संसद और राज्य विधानमंडल — कार्य, शक्तियाँ; मौलिक अधिकार और कर्तव्य; GS-I: राष्ट्रीय आंदोलन और संस्कृति। उत्तर में तथ्य (राज्यसभा 29 जुलाई, लोकसभा 30 जुलाई 2026; अधिनियम सं. 11/2026, राजपत्र 6 अगस्त 2026; धारा 3, तीन वर्ष; धारा 3A, एक वर्ष न्यूनतम) के साथ संतुलित तर्क रखें: प्रतीकों की गरिमा बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देता है। इस संशोधन के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान तथा नागरिकों की अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता के बीच संतुलन के प्रश्न पर टिप्पणी कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: 1971 अधिनियम और 1950 की संविधान-सभा प्रतिबद्धता।

मुख्य भाग में: प्रावधान: धारा 3 का विस्तार, सजा, धारा 3A; समर्थन के तर्क: प्रतीकों की समानता, स्पष्ट कानूनी आधार; चिंताएँ: 'जानबूझकर' और 'व्यवधान' की व्याख्या, अनुच्छेद 19(1)(a); आगे: न्यायिक व्याख्या और संतुलित क्रियान्वयन।

निष्कर्ष में: राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा को अभिव्यक्ति और अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ संतुलित करें; जानबूझकर गायन में बाधा या सभा-व्यवधान को निजी चुप्पी से अलग रखते हुए सीमित दायरे और गैर-मनमाने क्रियान्वयन पर बल दें।

स्रोत

- PIB रिसर्च — फैक्टशीट: राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 (30 जुलाई 2026)
- PRS Legislative Research — विधेयक सारांश और स्थिति
- आकाशवाणी समाचार — राज्यसभा से पारित (29 जुलाई 2026)
- आकाशवाणी समाचार — संसद से पारित (30 जुलाई 2026)
- विधेयक-पाठ, राज्यसभा में पेश 24 जुलाई 2026 (PRS पर उपलब्ध प्रति)
- भारत का राजपत्र (असाधारण) 6 अगस्त 2026 — अधिनियम सं. 11/2026 (गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रति)

- राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 — पूर्ण पाठ (India Code)

विधेयक-पाठ (राज्यसभा, 24 जुलाई 2026), गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध राजपत्र (असाधारण, 6 अगस्त 2026) में प्रकाशित अधिनियम सं. 11/2026 और 1971 के अधिनियम का India Code पाठ पूरा पढ़कर धारा 3 का नया शब्दांकन, 'जानबूझकर' की शर्त और धारा 3A (2003 के अधिनियम 31 से जोड़ी गई, न्यूनतम एक वर्ष) जाँची गई हैं। पारित होने की तिथियाँ आकाशवाणी समाचार से ली गई हैं। समाचार-रिपोर्टों में स्वीकृति की खबर 7 अगस्त (LiveLaw) और 11 अगस्त 2026 (The Hindu, आकाशवाणी) को छपी; वैधानिक तिथि राजपत्र की 6 अगस्त 2026 है। अधिनियम के प्रवर्तन की किसी अलग तिथि का उल्लेख हमें अधिनियम के पाठ में नहीं मिला।

यह भी पढ़ें: राज्यपाल की अनुच्छेद-161 नीति बनाम धारा 432 की वैधानिक नीति | गोरखालैंड राज्य की माँग: 1907 की याचिका से केंद्र की नई समिति तक।

याद रखें: तीन बातें याद रखें: संसद ने 29-30 जुलाई 2026 को विधेयक पारित किया और यह 6 अगस्त 2026 के राजपत्र में अधिनियम सं. 11/2026 बना; धारा 3 अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के गायन में जानबूझकर बाधा या सभा-व्यवधान को दंडित करती है (तीन वर्ष तक कैद, जुर्माना या दोनों); और दंड-व्यवस्था में धारा 3A की न्यूनतम एक वर्ष की दोहराव-सजा भी शामिल है।